3.2.1

संस्थायां गतेषु पञ्चसु वर्षेषु उद्योग-औद्योगिकाधिष्ठान-दत्तनिधि-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियनिकायैः अन्याभिश्च असर्वकारीयसंस्थाभिः प्रायोजितानां शोधयोजनानां कृते प्राप्तमनुदानं पीठानि च (लक्षशः)

क्र	पीठस्यनाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य विभागः	अनुदान वर्षम्	धनम्	अवधि
1	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	801472	1 वर्ष
2	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2019	709734	1 वर्ष
3	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2020	577350	1 वर्ष
4	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2021	382323	1 वर्ष
5	रामसिंह पीठम्	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	612154	1 वर्ष

प्रमाणपत्रम्

3.2.1

<u>सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी</u>

श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ –अध्यादेश
धारा 51{2}{ग}

यह अध्यादेश श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ अध्यादेश कहलायेगा ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराजपीठ की स्थापना के लिये श्री सद्गुरु जगजीत सिंह महाराज द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त पाँचलाख रुपये की धनराशि को " श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज पीठ निधि " नाम से सावधि जमा खाते में रखा जायगा और उससे प्राप्त आय को इसी नाम से बचत खाते में रखा जायेगा जिसका उपयोग इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अन्तर्गत श्री सद्गुरु राम सिंह जी महाराज पीठ" नाम एक विजिटिंग चेयर होगा जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक विद्वान को एक वर्ष के लिये आमंत्रित किया जायेगा जिसे रु0 5000/– मासिक मानदेय तथा आने जाने के लिये यात्रा–व्यय और कार्यालय व्यय । प्रासंगिक व्यय के लिये प्रतिवर्ष 10,000 रुपये उक्त निधि के आय से प्रदान किया जायगा । पूर्ण पीठ स्थायी रूप से स्थापित होने पर यह पीठ स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा ।

नामधारी दरबार से ऐसी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर जिसकी आय से पूरे वर्ष का मानदेय तथा पीठ के संचालन व्यय का भुगतान सम्भव हो , पीठ को स्थायी किया जा सकेगा ।

5. पीठ के अन्तर्गत नियुक्त विद्वान गुरुनानक देव ,गुरु गोविन्द सिंह और श्री सद्गुरु राम सिंह की परम्परा से सम्बद्ध किसी विषय पर गहन शोध कार्य , व्याख्यान और तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में कार्य करेंगें । इसके लिये सक्षम व्यक्ति उपलब्ध न होने पर भी भारतीय धर्म दर्शन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है ।

6. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष श्री सद्गुरु रामसिंह जी महाराज का वार्षिक स्मृति समारोह आयोजित किया जायेगा ,जिसकी तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण नामधारी दरबार की पूर्व सहमति से किया जायेगा । वार्षिक स्मृति समारोह के आयोजन के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष रु0 12000/–{बारह हजार रु0} अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।

7. ज्ञानधारा के प्रवाह को अजस्र बनाये रखने के लिये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन हेतु दो शोध छात्रों को पीठ द्वारा रु01000/–{एक हजार रु0} मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 24,000/–{चौबीस हजार रु} अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।

8. पीठ द्वारा शोध ग्रन्थों एवं गुरुवाणी के संस्कृत पद्यानुवाद {पंजाबी व्याख्या सहित} के प्रकाशन तथा अप्रकाशित पाण्डुलिपियों के सम्पादन एवं प्रकाशन की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरबार द्वारा की जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम "गुरु चन्द्रोदय कौमुदी" के सम्पादन एवं प्रकाशन के लिये अपेक्षित अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरबार द्वारा की जायेगी ।

9. पीठ द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत एवं गुरुमुखी भाषा तथा वाङ्मय के सम्बन्ध में एक गोष्ठी आयोजित की जायेगी और इसमें होने वाले व्यय के लिये नामधारी दरबार द्वारा प्रतिवर्ष 50,000/– {पचास हजार रु0} अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।

10. इस अध्यादेश के अनुच्छेद 6, 7, 8, और 9 में उल्लिखित व्यय के निमित्त अतिरिक्त स्थायी निधि प्राप्त हो जाने पर उसकी आय से ये व्यय किये जा सकेंगें ।

11. पीठ द्वारा अन्य ऐसे कार्यों को सम्पन्न किया जा सकेगा जो पीठ के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों अथवा उनके अनुरूप हों ।

12. पीठ का संचालन पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगें

1. कुलपति —अध्यक्ष
2. संकायाध्यक्ष --दर्शन संकाय —सदस्य
3. विभागाध्यक्ष – तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग—सदस्य
4. श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी महाराज द्वारा नामित दो व्यक्ति सदस्य

आवश्यकतानुसार समिति किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगी ।

13. पीठ के नाम, उद्देश्यों और उसके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के उपबन्धों में कोई संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन श्री सद्गुरु जगजीत सिंह की पूर्व अनुमति और उपर्युक्त खण्ड 12 के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के बिना नहीं किया जायेगा ।